



NATIONAL CONFERENCE



ON

FORENSIC SCIENCE AT THE SERVICE OF MANKIND

Organized by
Department of Anthropology
University of Lucknow (UP)

March 23 & 24, 2017

In collaboration with
Anthropological Survey of India
Asian Institute of Human Science and Development



अपराध, न्याय और दंड के वर्तमान स्वरूप

नीतू सिंह तोमर, पी-एच.डी. (समाजशास्त्र), पोस्ट डॉक्टरल फेलो, यू.जी.सी., बहादुरशाह जफरमार्ग, दिल्ली

भारत में निर्धन, दरिद्र, कंगाल और लाचार मनुष्यों का जीवन बुरी तरह संकटग्रस्त है। भरपेट भोजन, पहनने के लिए स्वच्छ वस्त्र और रहने के लिए आवास उनके सपने से भी परे है। उनके मन-मस्तिष्क पर मौत का साया मडराता दिखाई देता है। उनकी भूख की तड़फ और दर्द का विलाप सम्पन्न व्यक्ति को नाटक लगता है। उनका रक्त और काया व्यापारियों की आय के स्रोत बने गए हैं। लाचार मानव जहाँ भी जाता है उसका शिकार किया जाता है। मानव शिकार अवसर पर ढोल बजाकर उत्सव मनाए जाते हैं। धनी और विशिष्ट जन साधारण जनता को ठीक उसी तरह शिकार बनाते हैं। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है या साँप अपने अंडों को स्वयं निगल जाता है। आपराधिक घटनाओं का अवलोकन करने पर पता चलता है कि अधिकांश घटनाएँ क्षेत्रों की राजनीति से जुड़े दबंगों और संगठित अपराधियों द्वारा घटित की जाती हैं। यह संगठित अपराधी पुलिस और प्रशासन से साँठगाँठ कर योजनाबद्ध ढंग से घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। इन आपराधिक घटनाओं में उन्हीं लोगों को शिकार बनाया जाता है जो सीधे और सरल स्वभाव के बाल, वृद्ध, गृहस्थ होते हैं। इन व्यक्तियों पर डाकू, लुटेरे, ठग और उनके गुर्गे तरह-तरह के प्रपंचों से अपना प्रभाव जमाते हैं। सामाजिक घटनाओं पर पुलिस भूमिका सदैव संदिग्ध रहती है। किसी भी घटित हो रही घटना की सूचना पर पुलिस मौका-बारदात जाने से बचती है तथा घटना के काफी देर बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुँचती है। घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति राजनीतिक दबंगों के साथ पुलिस स्टेशन पर पहुँचकर पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाते हैं और जब पीड़ित पक्ष घटना पर कानूनी कार्यवाही की बात कहता है तो संबंधित पुलिस वाले कानूनी प्रक्रिया की उपेक्षा कर पीड़ित पक्ष को भगाने का प्रयास करते हैं। सामाजिक और प्रशासनिक दबाव पड़ने पर शिकायत की एन.सी.आर. दर्ज हो पाती है और समझौते की बात लिखकर मामले को दबा दिया जाता है। जब पीड़ित पक्ष अपनी बात न्यायालय में प्रस्तुत करता है तो न्यायालय में जिस प्रकार की न्यायिक कार्यवाही होती है वह किसी भी प्रकार 'नैसर्गिक न्याय सिद्धांत' के अनुरूप नहीं होती है। न्यायालय में बैठे पेशकार और पैरोकार पक्षकारों से न्यायालय में ही धन लेकर तारीख पर तारीख लगाते रहते हैं। यदि पक्षकार पैसा देने से बचता है तो पूरे दिन न्यायालय के बाहर बैठाकर देर शाम बिना उचित कारण मामले में 'स्थगन' देकर तारीख लगा दी जाती है या पीड़ित को अनुपस्थिति दिखाकर वारंट जारी करवा दिया जाता है और अभियुक्त बनाकर जेल में डाल दिया जाता है।